

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/ 5866

दिनांक: 24/03/2025-

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 551 दिनांक 10.01.2025 की निरन्तरता में नगर परिषद सीकर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	सीकर	सीकर	ग्राम पंचायत सबलपुरा का राजस्व ग्राम सबलपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत नानी का राजस्व ग्राम नानी, ढाणी नाथावतान का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत चंदपुरा का राजस्व ग्राम चंदपुरा, ढाणी सालमसिंह, बजाज ग्राम का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत दूजोद का राजस्व ग्राम दूजोद का सम्पूर्ण क्षेत्र ग्राम पंचायत गोकुलपुरा का राजस्व ग्राम गोकुलपुरा, रामूका बास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा का राजस्व ग्राम दुला की ढाणी, दासा की ढाणी, एवं राधाकिशनपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत चैनपुरा का राजस्व ग्राम चारण का बास, पीपली नगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा का राजस्व ग्राम समर्थपुरा, शिवसिंहपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत कुडली का राजस्व ग्राम नला का बालाजी, धाबाईपुरा, एवं बालाजी भैरूजी नगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत कटराथल का राजस्व ग्राम कटराथल का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत भादवासी का राजस्व ग्राम जगमालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 47,591)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलवी/25/5867-5895 दिनांक: 24/07/2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर परिषद सीकर में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं पालना हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर।
10. जिला कलेक्टर सीकर को भेजकर निवेदन है कि नगर परिषद सीकर की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कर पालना कराई जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिसूचक अधिकारी नगर परिषद सीकर
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, एवं वार्ड पंच संबंधित ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम..... जिला सीकर द्वारा अधिसूचक अधिकारी नगर परिषद सीकर जिला सीकर।
18. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रकरण में केवियट दायर किये जाने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/5896

दिनांक: 24/03/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नाथद्वारा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में नवीन सीमा क्षेत्र सम्मिलित किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1461-1430 दिनांक 28/01/2025 जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव


क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/24/5897-5925 दिनांक: 24/03/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर निगम में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
10. **जिला कलक्टर** राजसमन्द को भेजकर निवेदन है कि नगरपालिका नाथद्वारा की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।

Notification/2024-25

13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित उदयपुर जिला उदयपुर।
17. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव